

संख्या-862 /एक-10-2023-16(रिट)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महाराजगंज ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17/07/2023

विषय:- कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7920/आपदा सहायक/2021-22 दिनांक 29 सितम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या-3171/आ०सहा०-कोविड-19/2023-24, दिनांक 07 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-रिट सी-17575/2023 श्रीमती प्रेमलता पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-29.05.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

In view of the above, husband of the petitioner Late Ashok Kumar Pandey (Head Constable) while working at Civil Airport Gorakhpur was involved in the duty of prevention, protection and treatment of COVID-19, therefore, on his death, the petitioner is entitled for ex gratia compensation as per the Government order dated 11.4.2020. The respondent No.1 is directed to release the ex gratia compensation of Rs.50,00,000/- to the petitioner within a period of one month from today.

3- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व० अशोक कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी, जनपद-महाराजगंज की कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी०सी०, दिनांक 22.06.2021 में दी गयी व्यवस्था तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष-2023-24 में रु० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, महाराजगंज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया

- जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
 3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
 4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
 5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
 6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार

के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 17-07-2023 18:51:50

Reason Approved

विशेष सचिव।

संख्या- 862(1)/एक-10-2023-16(रिट)/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024

आवंटन दिनांक-19/07/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

862
001-862
51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 17500000	5000000 17500000
	योग	वर्तमान प्रणामी	5000000 17500000	5000000 17500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया पचास लाख
रूपया एक करोड़ पचहतर लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी